पत्र संख्या–एन/गृ0वि0मु0ज0शि0–11–04/2012–191/

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग।

निबंधित/
फैक्स
ईमेल
विभागीय वेबसाइट में अपलोड

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक–20/04/2016

विषयः– **बिहार राज्य अन्तर्गत केन्द्रीय पेंशन स्वीकृत स्वतंत्रता सेनानियों के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान की राशि भुगतान के लिए दिशा–निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा स्वतत्रंता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत है, उनके अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु 51000/–(एक्यावन हजार) रूपये मात्र की राशि अनुदान के रूप में भुगतान करने का निर्णय विभागीय संकल्प सं0–396 दिनांक–03.09.2015 द्वारा लिया गया है **(छायाप्रति संलग्न)**।

विदित हो कि पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक–404 दिनांक–05.09.2006 एवं पत्रांक–248 दिनांक–11.07.2007 द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके दो पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र निर्गत करने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया जा चुका है **(छायाप्रति संलग्न)**।

उपर्युक्त संकल्प में लिए गए निर्णय के आलोक में स्वतंत्रता सेनानियों के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान की राशि के भुगतान के लिए सभी जिला पदाधिकारियों को निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निदेश दिया जाता हैः–

1. स्वतंत्रता सेनानी तथा उनकी मृत्यु की स्थिति में उनकी आश्रिता पत्नी संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष अपने अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए एक सादा कागज में आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
2. स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रिता पत्नी दोनों के दिवंगत होने की स्थिति में स्वतंत्रता सेनानी के वैध उत्तराधिकारी यथा–स्वतंत्रता सेनानी के अविवाहित पौत्री/नतिनी के माता/पिता, जिन्हें जिला पदाधिकारी द्वारा परिचय पत्र निर्गत है, विवाह अनुदान की राशि प्राप्त करने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
3. उक्त आवेदन के साथ स्वतंत्रता सेनानी/वैध उत्तराधिकारी के द्वारा स्व–घोषणा प्रपत्र (Self Declaration) भी संलग्न किया जायेगा, जिसमें पी0पी0ओ0 संख्या, शादी कब है, किसकी है, स्वतंत्रता सेनानी से उनका क्या संबंध है एवं शादी हेतु वैध उम्र (Legal Age) प्राप्त होने का उल्लेख हो। स्व–घोषणा प्रपत्र (Self Declaration) के साथ स्वतंत्रता सेनानी के पौत्री/नतिनी की आयु के प्रमाण के लिए उसकी जन्म प्रमाण पत्र/मैट्रीक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति, शादी के पूर्व आवेदन देने की स्थिति में शादी सम्पन्न होने के पश्चात् 30 दिनों के अंदर विवाह

D:\Section-N\ANIL SIR\All Dm. docx - 1588 -

क्र0पृ0उ0........

पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) तथा इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि के बाद की अवधि में यदि शादी होने का दावा करते हुए विवाह अनुदान राशि के भुगतान हेतु आवेदन दिया जाता है तो आवेदन के साथ हीं विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में **स्व-घोषणा प्रपत्र (Self Declaration) का विहित प्रपत्र (Form) संलग्न** है।

4. स्वतंत्रता सेनानियों के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु विवाह अनुदान की राशि उनकी शादी के पूर्व अथवा शादी के बाद देय होगी।
5. संकल्प सं0-396 दिनांक-03.09.2015 निर्गत तिथि से प्रभावी होगा। इस संकल्प निर्गत तिथि के पूर्व के शादी के लिए अनुदान राशि का दावा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6. जिला पदाधिकारी स्वतंत्रता सेनानी के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान की राशि की स्वीकृति एवं भुगतान के लिए सक्षम प्राधिकार होंगे।
7. इसके लिए सभी जिलों को "मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उपमुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, समूह शीर्ष-गैर योजना के अंतर्गत उप शीर्ष-0016-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना के पेंशनरों को उनके पौत्री/नतिनी की शादी हेतु अनुदान" विपत्र कोड-एन0-2235602000016 में राशि का अग्रिम आवंटन उपलब्ध करा दिया जायेगा।
8. जिला पदाधिकारी स्वयं संतुष्ट होने के पश्चात् ही शादी हेतु उक्त अनुदान की राशि का भुगतान आवेदन देने वाले स्वतंत्रता सेनानी/ उनकी पत्नी तथा इन दोनों के दिवंगत होने की स्थिति में उनके अविवाहित पौत्री/नतिनी के माता/पिता के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से करेंगे। विवाह अनुदान राशि के भुगतान के पश्चात् इसकी सूची विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेगें।

अतः दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ताकि स्वतंत्रता सेनानी के अविवाहित पौत्री/नतिनी की शादी हेतु विवाह अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान में कोई कठिनाई न हो।

<u>अनु0-यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी)
प्रधान सचिव। 18.4.16

D:\Section-N\ANIL SIR\All Dm.docx - 1589 -

स्व–घोषणा प्रपत्र

(स्वतंत्रता सेनानी/वैध उत्तराधिकारी के लिए)

मैं .... घोषणा करता/करती हूँ कि सुश्री .... मेरी पौत्री/नतिनी/पुत्री है, जिसका जन्म तिथि .... है तथा उसकी शादी दिनांक– .... को निर्धारित है। उक्त जन्म तिथि के आधार पर शादी के लिए उसकी वैध उम्र (Legal Age) हो चुकी है। उम्र के प्रमाण के लिए मैं अपने पौत्री/नतिनी/पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र/मैट्रिक प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करता/करती हूँ।

2. गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0– .... दिनांक– .... के द्वारा स्वतंत्रता सेनानी श्री .... को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृति दी गई है, पी0पी0ओ0 सं0– .... है तथा पेंशन का भुगतान .... कोषांगार/बैंक से हो रहा है/था। उक्त के संबंध में पेंशन स्वीकृति आदेश पत्र, पी0पी0ओ0 एवं उत्तराधिकारी परिचय पत्र/वंशावली प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करता/करती हूँ।

3. विवाह संपन्न होने के बाद (30 दिनों के अन्दर) विवाह पंजीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) निश्चित रूप से समर्पित करूँगा/करूँगी।

अथवा, संकल्प संख्या–396, दिनांक–03.09.2015 के निर्गत होने की तिथि के पश्चात् मेरी पौत्री/नतिनी/पुत्री की शादी दिनांक– .... को हो चुकी है। विवाह पंजीकरण पदाधिकारी द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (Marriage Certificate) संलग्न है (जो लागू न हो, काट दें)।

4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस घोषणा पत्र में उपर्युक्त सभी तथ्य/बातें सही है।

स्वतंत्रता सेनानी/वैध उत्तराधिकारी
का हस्ताक्षर एवं पूर्ण पता

D:\Section-N\ANIL SIR/self Declaration form

सं0स0-एन0/गृह0वि0मु0ज0शि0-11-04/2012-396

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

संकल्प

बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हे केन्द्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत है, उनके पौत्री/नतीनी की शादी हेतु अनुदान के रूप में 51,000/- (एक्यावन हजार) रूपये मात्र की राशि का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। उक्त अनुदान की राशि के भुगतान हेतु बजट शीर्ष का निर्धारण वित्त विभाग से परामर्श कर अलग से किया जाएगा।

विश्वासभाजन

03.09.15
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक. एन0/गृह0वि0मु0ज0शि0-11-04/2012-396 **पटना, दिनांक** 3-9-2015/

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को संकल्प की दो हार्ड प्रति एवं सी0डी0 के साथ बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु अग्रसारित।

अनुरोध है कि मुद्रित संकल्प की 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ गृह (विशेष) विभाग, बिहार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

03.09.15
सरकार के उप सचिव

स्पेशल संवाद। — —

पत्र सं० गा-एस०/गृ०वि०नि०-विविध-01-00014/06- 248 / (341)

बिहार सरकार
गृह। विशेष। विभाग।

प्रेषक,

श्री एच० एन० झा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना, दिनांक 11 जुलाई, 2007.

विषय:- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक-404 दिनांक-5-9-2006

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि राज्य सरकार ने कुछ अन्य राज्यों की भाँति राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों के रूप में सेनानी के दो पीढ़ी तक के व्यक्तियों को यथा पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती, नाती अथवा नतनी को परिचयपत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

इस संदर्भ में कुछ जिलों के जिलाधिकारियों एवं संगठनों से पत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें दुविधा के कारण स्पष्ट दिशा निर्देश की माँग की गई है कि एक स्वतंत्रता सेनानी के कितने उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र निर्गत करना है। क्या स्वतंत्रता सेनानी के पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री पोता अथवा पोती, नातीअथवा नतनी में से किसी एक को या सभी को परिचय पत्र निर्गत किया जायगा। क्या एक स्वतंत्रता सेनानी के कई पोता पोती नाती एवं नतनी होने की स्थिति में क्या सभी को परिचय पत्र निर्गत किया जायगा। क्या जिस पुत्री की शादी हो गई है एवं वो ससुराल में है तो क्या उन्हें भी परिचय पत्र निर्गत किया जायेगा।

विभागीय पत्रांक-404 दिनांक-5-9-06 में स्पष्ट निदेश दिया जा चुका है कि स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके उत्तराधिकारियों के रूप में दो पीढ़ी तक के व्यक्तियों को यथा पति अथवा पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री पोता अथवा पोती, नाती अथवा नतनी, सभी व्यक्तियों को चाहे इनकी संख्या जितनी हो परिचय पत्र निर्गत किया जा सकता है। साथ ही शादी-शुदा पुत्री भी आवेदन करती हैं तो उन्हें भी परिचय पत्र निर्गत करना है। यह परिचय पत्र मात्र सम्मान की दृष्टीकोण से दिया जा रहाहै। इसका अन्य कोई लाभ देय नहीं है।

कृपया प्राथमिकता देते हुए इस कार्य में गति प्रदानकी जाय।

विश्वासभाजन,
(ह०) 11.7.07
सरकार के अपर सचिव

(ह०)
चन्द्र

पत्र संख्या – एन/गृ.वि.नि. – विविध 01-00014/2006......404............/

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 5 सितम्बर, 2006

विषय : स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों को परिचय पत्र जारी किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि राज्य सरकार ने कुछ राज्यों की भांति राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके उत्तराधिकारियों के रूप में सेनानी के दो पीढ़ी के व्यक्तियों को यथा पति अथवा, पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री, पोता अथवा पोती, नाती अथवा नतनी को परिचय पत्र जारी करने का निर्णय लिया है।

इस संदर्भ में प्रपत्र जो सेनानी / उत्तराधिकारी को भरना है एवं परिचय पत्र के नमूना की प्रति संलग्न कर भेजी जाती है।

सभी जिला पदाधिकारी परिचय पत्र निर्गत करने के संबंध में उचित से कार्रवाई सुनिश्चित करेंगें :-

1. स्वतंत्रता सेनानी / उत्तराधिकारी द्वारा फार्म निहित प्रपत्र में पूर्ण सूचनाओं के साथ भरकर अपने गांव के ग्राम पंचायत मुखिया अथवा शहर के संबंधित वार्ड कमीशनर से हस्ताक्षर करवाकर जिला पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करेंगे।
2. जिला पदाधिकारी इस फार्म के आधार पर स्वतः जांच कराकर एवं उनके संतुष्ट हो जाने के उपरान्त ही उत्तराधिकारी परिचय पत्र निर्गत करेंगे।
3. परिचय पत्र उन्हीं उत्तराधिकारियों को निर्गत किया जाएगा जिनका पूर्ण संस्थापन एवं आपराधिक इतिहास का सत्यापन पुलिस द्वारा किया गया हो और वे स्वच्छ पाये गये हो।
4. उत्तराधिकारी परिचय पत्र निर्गत करने हेतु जिला के जिला पदाधिकारियों को आधिकृत किया जाता है।
5. सभी जिला पदाधिकारी, संदर्भित विषय का प्रचार प्रसार करेंगे ताकि इसकी जानकारी सेनानी एवं उनके उत्तराधिकारी को प्राप्त हो सके।
6. जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया गया उत्तराधिकारी परिचय पत्र की सूची की एक प्रति राज्य सरकार को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

दिये गये इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए एवं पूर्ण कार्यवाई की सूचना अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाये।

FREEDOM FIGHTERS' ORGANISATION
Regn. No. 16924

विश्वास भाजन,

(अफजल अमानुल्लाह)
आयुक्त–सह–सचिव
गृह विभाग, बिहार, पटना